crops such as cotton, sugarcane, rice, pulses, oilseeds and vegetables.

(ii) IPM strategies for different crops have been jointly formulated by the ICAR and the Department of Agriculture and Cooperation in consultation with State Agricultural Universities and State Departments of Agriculture. These have been widely circulated to all the concerned states for implementation.

(iii) Farmer participatory research programmes including trainings have been initiated to demonstrate IPM technology to the farmers in 'hot spots' in the country.

Crop Insurance

323. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any comparative study has been done of the prevailing system of crop insurance in other countries for the benefit of farmers;

(b) if so, the systems and countries which have been studied for their Crop Insurance System;

(c) whether Government will modify the existing system of crop insurance; and

(d) if so, the broad modifications proposed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No such study has been done by the Government in this regard.

(b) Does not arise.

(c) and (d) To enlarge the coverage in terms of farmers, crops and risks under the existing Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS), it is proposed to introduce a Modified Comprehensive Crop Insurance Scheme (MCCIS).

मौसम विभाग की असफलता

324. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में आये चक्रवात से हुई भारी क्षति के लिये गुजरात राज्य सरकार और केन्द्रीय मौसम विभाग दोनों ही समान रूप से दोषी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों का पता लगाया है;

(ग) क्या राज्य सरकार, केन्द्रीय मौसम विभाग और कांडला पत्तन न्यास के बीच प्रशासनिक तालमेल का अभाव था;

(घ) क्या राज्य सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमं पाल): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात सरकार को 5 जून, 1998 से चेतावनी देना शुरू किया। राज्य सरकार ने कथित रूप से 6 जून, 1998 से कार्यवाही शुरू की। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई सभी चेतावनियों तथा सावधान रहने के संकेतकों को जिला प्रशासनों तथा प्रकार्यात्मक विभागों को सम्प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार ने संबंधित प्रशासन को अत्यधिक सजग बनाये रखा तथा उनको आवश्यक पूर्वोपाय करने की सलाह दी। जिलाधिकारियों को चक्रवात तथा अत्यधिक वर्षा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य करने के लिये तैयार रहने के लिये सचेत किया गया था। राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा स्थिति की कथित रूप से 3 जून को तथा सेना और वायु सेना के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधितों के साथ राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 9 जून को समीक्षा की गई थी। कान्डला पत्तन न्यास के प्राधिकारियों ने 8 जून को पत्तन के अधिष्ठानों की सुरक्षा करने के लिये उपाय किये। अन्ततः चक्रवात गुजरात तट से 9 जून, 1998 को पार कर गया तथा राज्य सरकार, आई०एम०डी० के०पी०टी० तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किये गये उपायों के बावजूद चक्रवात की गम्भीरता के कारण हुई हानि को रोकना सम्भव नहीं हुआ।